भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3370

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया का व्यापक उपयोग

3370. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषिगत यूरिया के व्यापक उपयोग और जमाखोरी में वृद्धि पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जब्त किए गए/बरामद किए गए ऐसे यूरिया का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में किसानों को घटिया यूरिया वितरित किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) उर्वरकों को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को उर्वरकों की कालाबाजारी/जमाखोरी रोकने के लिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 तथा एफसीओ के उपबंधों के उल्लंघन में कालाबाजारी या विपथन में संलिप्त किसी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त एफसीओ-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं। कोई भी उर्वरक, जो उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है, को कृषि प्रयोजन के लिए देश में नहीं बेचा जा सकता है। एफसीओ के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन का कड़ाई से निषेध किया गया है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। घटिया/नकली/मिलावटी उर्वरकों की किसी भी प्रकार की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है।

इसके अलावा, राज्य में घटिया उर्वरकों की बिक्री को विनियमित करने के लिए, फील्ड स्तर पर जागरूकता और सतर्कता के लिए एक जिला गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है तथा प्रेस नोट, टीवी वार्ता, किसान गोष्ठी, कृषि मेला, कृषि महोत्सव आदि के माध्यम से नियमित रूप से किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता है।

तदनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में राज्यों द्वारा यूरिया की जब्ती के संबंध में आंकड़ों सहित चल रहे खरीफ मौसम 2025 अर्थात 01.04.2025 से 01.08. 2025 तक के दौरान राज्यों द्वारा दर्ज किए गए घटिया उर्वरकों के मामलों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 08.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3370 के उत्तर के भाग (क) से (ग) से संबंधित है।

राज्यों द्वारा सूचित किए गए यूरिया जब्ती और घटिया उर्वरकों के मामले

क्र.सं	राज्य	राज्यों द्वारा जब्त/बरामद यूरिया				घटिया उर्वरक (01.04.2025 से 01.08.2025 तक)			
		2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	निरीक्षणों/छापों की संख्या	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
1	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	577	5	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0	0
3	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1681	11	0	0
4	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	7176	0	0	0
5	छत्तीसगढ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3661	110	5	0
6	दादर एवं नगर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0	0
7	दिल्ली	1718 बैग	शून्य	2383 बैग	शून्य	99	3	0	0
8	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	602	32	1	0
9	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4566	64	1	0
10	हरियाणा	3541 बैग	1700 बैग	8927 बैग	3323 बैग	4133	40	10	3
11	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0	0	0
12	जम्मू एवं कश्मीर	20.72 एमटी	शून्य	शून्य	शून्य	1568	28	0	0
13	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	352	1	0	0
14	कर्नाटक	शून्य	156 एमटी	91.16 एमटी	12.85 एमटी	3538	117	10	0
15	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	323	2	0	0
16	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	276	0	0	0
17	महाराष्ट्र	331 एमटी	151 एमटी	20 एमटी	32 एमटी	26870	322	35	17
18	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	0	0	0
19	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	169	0	0	0
20	मिजोरम	शून्य	124 बैग	शून्य	शून्य	11	0	0	0
21	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	64	101	0	0
22	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3622	10	0	0
23	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10	0	0	0
24	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2323	65	23	2
25	राजस्थान	12400 बैग	1980 बैग	शून्य	274 बैग	5828	72	0	0
26	तमिलनाडु	शून्य	195.565	शून्य	शून्य	10837	4	3	0
27	तेलंगाना	85.635 एमटीएस	शून्य	शून्य	शून्य	47518	6	0	0
28	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	304	0	0	0
29	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	16193	141	18	2
30	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	158	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15666	217	0	0